

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:-

Making of Mural for Tower Block of Vishweshwaraiya Bhawan on the theme of "Bihar Darshan", Patna कार्य हेतु राशि ₹ 1,85,850/- एवं Making of Mural for Tower Block of Vishweshwaraiya Bhawan on the theme of Architectural Building "Bapu Tower" Constructed by Building Construction Department in Bihar, Patna कार्य हेतु राशि ₹ 3,43,350/- मात्र का वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना का पत्रांक-2026 अनु०, दिनांक-10.03.2026 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु समेकित कुल राशि ₹ 5,29,200/- (पाँच लाख उनतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त कार्य हेतु राशि का उपबंध "मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-053-रखरखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-अनुरक्षण एवं मरम्मत-मतदेय-विपत्र कोड -03-2059800530001-विषयशीर्ष-27-लघुकार्य-0001.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययदेश के उपरांत ही राशि की निकासी की जा सकेगी।
- इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल-01, पटना होंगे।
- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेन्सी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।
- प्रस्तुत योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा सं०सं०-भ०/मु०अ०(प०)यो०प्राक्-1-39/25 के पृष्ठ-20/टि० पर दिनांक-23.07.2026 को प्रदान की गयी है।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-भ०/मु०अ०(प०)यो०प्राक्-1-39/25 के पृष्ठ-24/टि० पर प्राप्त है।
- वित्त विभागीय परिपत्र सं० 7355 वि०(2) दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

११/८

पटना,

दिनांक-

१५/८/२६

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

११/८

पटना,

दिनांक-

१५/८/२६

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता(पटना)/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल-01, पटना/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव